न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री मंगलाराम पूनिया, आर.ए.एस.

2019-00155RAAJodhpur2019-79RTA223 Bholaram ors Vs Durgaram etc

01. भोलाराम पुत्र खेताराम
02. किसनाराम पुत्र अमराराम
03. मगाराम पुत्र अमराराम
04. आसुराम पुत्र बीजाराम
05. अर्जुनराम पुत्र बीजाराम
06. दूलाराम पुत्र अमराराम
07. पूर्णाराम पुत्र अमराराम
08. जेठाराम पुत्र कानाराम
09. मगाराम पुत्र कानाराम
10. प्रकाश पुत्र नारायणराम
11. प्रेमाराम पुत्र पोकरराम
12. भोमाराम पुत्र घमाराम
13. किसनाराम पुत्र घमाराम
14. सीतोदवी पत्नी मांगीलाल
15. भेराराम पुत्र गोरधनराम
16. भवरूराम पुत्र उदाराम
17. बालाराम पुत्र मूलाराम

सभी जातियान् भील, निवासीगण- ग्राम आऊ, तहसील फलोदी, जिला जोधपुर।

अपीलाण्ट्स ...

ब

ना

म

1. दुर्गाराम पुत्र रामुराम जाति नायक
2. उदाराम पुत्र नरूराम जाति मेघवाल, निवासीगण- ग्राम आऊ, तहसील फलोदी, जिला जोधपुर।
3. नेकू पुत्र कादर खां
4. सुलतान पुत्र नेकू खां
5. समस्तदीन पुत्र सखी खां
6. बालम खां पुत्र मेहबूब खां

जातियान् मुसलमान, निवासीगण- ग्राम आऊ, तहसील फलोदी, जिला जोधपुर।

7. रेवतराम पुत्र लालुराम

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

8. पपुराम पुत्र पोकरराम
9. मोहनराम पुत्र पोकरराम
10. भोमली पुत्री पोकरराम
11. फुलाराम पुत्र घमाराम
12. आदुराम पुत्र घमाराम
    सभी जातियान् भील, निवासीगण- ग्राम आऊ, तहसील फलोदी, जिला जोधपुर।
13. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार फलोदी, जिला जोधपुर।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13 मार्च 2018 सहायक कलक्टर फलोदी राजस्व मूल वाद संख्या 26/2005 दुर्गाराम व अन्य बनाम नेकू खॉ इत्यादि

उपस्थित-
श्री सूर्यप्रकाश पंवार, अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स
श्री गिरधरसिंह भाटी,, अधिवक्ता- रेस्पो. संख्या एक व दो
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या तेरह

निर्णय

दिनांक : 11 जुलाई 2023

अपीलाण्ट्स ने सहायक कलक्टर फलोदी द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 26/2005 दुर्गाराम व अन्य बनाम नेकू खां इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13 मार्च 2018 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत दिनांक 02 जुलाई 2019 को प्रस्तुत की है।

अपीलांट्स द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रेंस्पोडेंट संख्या एक व दो द्वारा एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के तहत वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 441/2 रकबा 11 बीघा 10 बिस्वा ग्राम आऊ तहसील फलोदी के संबंध में विचारण न्यायालय के समक्ष पेश किया। विचारण न्यायालय द्वारा वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 13 मार्च 2018 को वाद स्वीकार कर निर्णय एवं डिक्री जारी कर दी, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट्स ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित करने में कानूनी तथ्यात्मक एवं विधिक भूल की है। विचारण न्यायालय ने महज कयासी दलीलो पर वादीगण का दावा डिक्री करने में भारी भूल की है, जबकि वादीगण अपने दावे को दस्तावेजी अथवा जबानी शहादत से कतई साबित नहीं कर सके थे। पत्रावली पर विघमान साक्ष्य के आधार पर तो दावा हर सूरत में खारिज होने योग्य था। विचारण न्यायालय ने वाद में कायम किये गये वाद बिंदुओं पर मनमाना निर्णय देते हुए वादीगण का दावा डिक्री कर दिया जो डिक्री हर सूरत में निरस्त करने योग्य है, जबकि वादीगण किसी भी वाद बिंदु को साबित नहीं कर सके थे तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर इन वाद बिंदुओं का निर्णय वादीगण के पक्ष में किया ही नहीं जा सकता था। विचारण न्यायालय ने केवल वादीगण के जबानी कथनों को आधार मानकर वादीगण का दावा डिक्री कर दिया गया एवं काल्पनिक नक्शे को आधार मानकर दावा डिक्री कर दिया। प्रतिवादीगण इस मामले में कतई

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अतिक्रमति नहीं है, इस कारण उनके विरुद्ध कोई बेदखली की डिक्री जारी की ही नहीं जा सकती। अधीनस्थ न्यायालय ने सरसरी तौर पर निर्णय करते हुए वादीगण का दावा डिक्री की दिया। विचारण न्यायालय ने केवल नायब तहसीलदार की रिपोर्ट को ही आधार मानकर दावे का फेसला कर दिया। उक्त रिपोर्ट अपीलार्थी की गैर मौजूदगी में तैयार की गई है ,जिसका कोई महत्व नहीं है। विचारण न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित करने में पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य को मिसरीड एवं मिस एप्रिसियेट किया हैं। प्रार्थना पत्र धारा मियाद अधिनियम पर अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि विचारण न्यायालय के समक्ष वाद में पैरवी करने हेतु अपीलार्थीगण की ओर से वकील मुकर्रर किये हुए थे तथा उन्होंने अपीलार्थीगण का आश्वस्त किया था कि जब भी पेशी पर आने की आवश्यकता होगी, उन्हें सूचित कर दिया जावेगा। काफी समय तक वकील द्वारा कोई फोन नहीं करने पर तथा रेस्पोडेंट ने दिनांक 11.05.2019 को विवादग्रस्त भूमि पर आकर झगड़ा किया कि अपीलार्थी भूमि खाली कर दे। न्यायालय का फेसला हमारे पक्ष में हो गया है, तब अपीलार्थी दिनांक 12.05.2019 को जाकर अपने वकील से मिले एवं मुकदमे की जानकारी चाही तो वकील ने बताया कि फैसला तो हो गया, लेकिन इसकी इत्तला अपीलार्थीगण को करना भूल गया, तब दिनांक 13.05.2019 को फैसले की नकल के लिए अर्जी पेश करवाई तब नकल प्राप्त होन पर दिनांक 13.05.2019 को इसकी प्रथम जानकारी हुई इससे पहले कोई जानकारी नहीं थी। अपीलांट्स द्वारा प्रथम जानकारी से अपील अंदर म्याद पेश की गई है। अंत में अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम स्वीकार फरमाया जावे एवं अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाकर स्वीकार की जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर फलोदी द्वारा

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

राजस्व मूल वाद संख्या 242/2013 खुमानाराम व अन्य बनाम मोहनराम इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 18 मई 2018 को निरस्त किये जाने आदेश फरमावे।

जवाब में वकील रेस्पोडेंट संख्या एक व दो ने अपीलांट के अधिवक्ता के कथनों का विरोध करते हुए निवेदन किया कि रेस्पोडेंट संख्या एक व दो वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 441/2 रकबा 11 बीघा 10 बिस्वा के रेकर्डेड खातेदार काश्तकार है। ग्राम पंचायत आउ द्वारा आबादी विस्तार हेतु नक्शा सहित दो प्रस्ताव भेजे गये। जिला कलक्टर जोधपुर द्वारा आदेश दिनांक 17.04.2022 तथा आदेश दिनांक 19.08.2022 के जरिये खसरा नं. 441 में सें क्रमशः 05-05 बीघा भूमि आबादी हेतु विस्तार की गई। प्रतिवादीगण द्वारा राजस्व कार्मिकों से मिलावट कर जिला कलक्टर को प्रस्ताव के साथ भेजे गये नजरी नक्शे के विपरीत तरमीम करवा दी। रेस्पोडेंट संख्या एक व दो वादी द्वारा प्रस्तुत वाद में विचारण न्यायालय द्वारा तलब विस्तृत मौका रिपोर्ट एवं गवाहन के बयान के आधार पर विरचित तनकीयात पर विस्तृत विवेचन करते हुए विधिसम्मत निर्णय एवं डिक्री पारित की है। वक्त निर्णय अपीलांट्स विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित थे। उनके द्वारा हस्तगत अपील विलंब से पेश की गई है। अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब का कोई संतोषजनक कारण नहीं बतलाया है। अपीलांट्स रेस्पोडेंट संख्या एक व दो की भूमि पर बतौर अतिक्रमी के रूप में है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की पालना में राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद हो चुका है। रेस्पोडेंट दुर्गाराम द्वारा अपनी खातेदारी भूमि खसरा नं. 441/2 रकबा 09 बीघा 10 बिस्वा का औद्योगिक प्रयोजनार्थ दिनांक 13 जुलाई 2018 को संपरिवर्तन करवाया जा चुका है। इसलिए अकृषि भूमि के संबंध में राजस्व न्यायालय को सुनवाई का श्रवणाधिकार

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

नहीं होने तथा अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन एवं म्याद बाधित होने से होने से खारिज फरमायी जावे।

राजकीय अधिवक्ता प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में न्यायोचित आदेश पारित किये जाने का निवेदन किया।

उभय पक्ष के अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। उपलब्ध अभिलेख मुताबिक वादीगण/रेस्पोडेंट संख्या एक व दो वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 441/2 के रेकर्डेड खातेदार है। उपलब्ध अभिलेख से स्पष्ट होता है कि हस्तगत प्रकरण में विवाद का मुख्य बिंदु खसरा नं. 441 एवं उसके बट्टा नंबर की गलत तरमीम रहा है। नायब तहसीलदार फलोदी की तथ्यात्मक रिपोर्ट ईएक्सपी-14 के मुताबिक नायब तहसीलदार फलोदी द्वारा दल का गठन कर वादग्रस्त आराजी की पैमाईस कर मौके अनुसार विस्तृत रिपोर्ट तैयार किया जाना पाया जाता है।

तथ्यात्मक रिपोर्ट के पृष्ट संख्या दो { विचारण न्यायालय की पत्रावली के पृष्ठ संख्या 89 } के पद संख्या तीन के मुताबिक खसरा नं. 441 में कब्जे एवं तरमीम की स्थिति बाबत विवाद ग्राम पंचायत आउ को राज्य सरकार द्वारा इस खसरे में सें आवंटित आबादी भूमि की तरमीम करने के कारण पैदा हुआ। तथ्यात्मक रिपोर्ट से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत को आबादी विस्तार हेतु दो बार 05-05 बीघा भूमि आवंटित हुई। उक्त आवंटन आदेशों की पालना में भरे गये नामांतरकरण संख्या 1556 एवं 1602 की पुश्त पर आवंटन प्रस्तावों के साथ भेजे गये नजरी नक्शों के विपरीत तरमीम किया जाना पाया जाता है। तथ्यात्मक रिपोर्ट के साथ परिशिष्ट ए की सूची में प्रायोजित सामूहिक अतिक्रमण जो बिल्कूल नये एवं प्रायोजित बताये गये है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

वकील रेस्पोडेंट द्वारा प्रस्तुत संपरिवर्तन आदेश दिनांक 13.07.2018 के मुताबिक वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 441/2 रकबा 09.10 बीघा का औद्योगिक प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन हो चुका है। लिहाजा उक्त भूमि की किस्म .परिवर्तन होने से राजस्व न्यायालय को उक्त रकबे के संबंध में श्रवणाधिकार प्राप्त नहीं है।

विचारण न्यायालय द्वारा हस्तगत प्रकरण में उभय पक्ष को जवाब प्रस्तुति का अवसर, विवाधकों की विरंचना, एवं साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी अभिलेख के आधार पर विधिसम्मत निर्णय एवं डिक्री पारित किया जाना पाया जाता है, जिसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं पाये जाने से उसमें हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट सारहीन एवं म्याद बाधित होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर फलोदी द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 26/2005 दुर्गाराम व अन्य बनाम नेकू खां इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13 मार्च 2018 यथावत रखा जाता है। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

11.7.23

{मंगलाराम पूनिया}
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर